फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती लेहरीबाई **विपक्षी : श्री चुन्नीलाल**

किस्म मुकदमा –88, 188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 28/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 21.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आपसी राजीनामा पत्र पेश कर राजीनामें अनुसार वाद को डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा आपसी राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि पैतृक जमीन खाता सं. 284 रकबा 0.9955 हेक्टेयर भूमि में नन्दलाल रेगर का 1/3 हिस्सा हैं परन्तु सौराम रेगर ने उक्त सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी सं. 3 रतनीदेवी व 4 मिठुबाई के नाम जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से दान कर दी। भूमि पैतृक होने से वादीगण के पिता नन्दलाल जी का भूमि में 1/3 हिस्सा होने से आपसी सहमति अनुसार वादीगण को 1/3 हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु सहमति देकर आपसी राजीनामा पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में सौराम के नाम पर दर्ज थी। जिसे सौराम ने जरिये दान पत्र प्रतिवादी सं. 3 व 4 को हस्तान्तरित कर दी। सौराम के 3 पुत्रों में स्वर्गीय नन्दलाल व प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल व प्रतिवादी सं. 2 रोशनलाल वारिस हैं। भूमि पैतृक होने से सभी वारिसों का हक निहित हैं। वादीगण नन्दलाल के विधिक वारिस होने से इनका 1/3 हिस्सा सौराम की सम्पति में बनता हैं। 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा आपसी राजीनाम पेश किया। अतः आपसी राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 2465/2086, 2467/2086, 2470/2096, 2472/2102, 2474/2110 किता 5 रकबा 0.9955 हेक्टेयर भूमि में वादी सं. 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:42:35 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी स्व. नन्दलाल रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।
2. श्री मनोज पिता स्व. नन्दलाल रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।
3. कान्ता पुत्री स्व. नन्दलाल रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री चुन्नीलाल पिता सौराम उर्फ शिवराम रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।
2. श्री रोशनलाल पिता सौराम उर्फ शिवराम रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।
3. श्रीमती रतनीदेवी पत्नी रोशनलाल रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।
4. श्रीमती मिठुबाई पत्नी चुन्नीलाल रेगर निवासी खरताणा तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का खरताणा तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 28/21 (वाद) GCMS No. – 2021/55

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 2465/2086, 2467/2086, 2470/2096, 2472/2102, 2474/2110 किता 5 रकबा 0.9955 हेक्टेयर भूमि में वादी सं. 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:42:35 IST
Reason: SelfAttested